न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 185/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामाराम पुत्र केसराराम 2. नवलाराम पुत्र केसराराम 3. देवाराम पुत्र पीराराम 4. हेमी पत्नी पीराराम 5. जोगाराम पुत्र वालाराम 6. दलु बेवा बालाराम 7. रूपो बेवा केसराराम सभी जातियान–जाट निवासी–सांजटा–सरली तहसील व जिला बाडमेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 58/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम रामाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 अक्टूबर,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित राजस्व प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा ग्राम मोतिणियों का तला तहसील बाडमेर के ख0सं0 271. 275. 274. 276 रकबा 9.19 बीघा भूमि में से चल रहे स्थाई रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा दौरान सुनवाई प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान संख्या 271 एवं 275 भूमि के अपीलान्ट अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को विधिक रूप से नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी पटवारी हल्का के द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीगण की भूमि कम होने की बताई तब अपीलार्थी ने दिनांक 19.8.2019 को नकले प्राप्त की एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की उक्त खसरान भूमि के अलावा अपीलाधीन आदेश में दर्शित अन्य खसरान भूमि में खातेदार सवाईराम पुत्र चांदाराम एवं ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। तहसीलदार, बाडमेर की ओर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 की पालना में एक प्रकरण सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप से चालू कदीमी परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नहीं है, को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया परन्तु अपीलकर्ता पर उक्त नोटिस सम्यक रूप से तामली होने के बावजूद उसको तामील मानते हुए दिनांक 3.4.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय विवेचन के आधार पर विवादित आदेश पारित किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण पत्रावली में दिनांक 14.3.17 को नोटिस जारी किये जाने/नोटिस तामील श्रेणी में प्राप्त होने का उल्लेख भी पत्रावली में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है। अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने 8.71 कि0मी0 तक पडक रास्ता होने व पक्की सडक होने के तथ्य को प्रकट होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त तथ्यों की पुष्टि किस दस्तावेज अथवा साक्ष्य से हुई, यह कहीं अंकित नहीं किया हुआ है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश भी आधारहीन होना प्रमाणित है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को रास्ते में विलिन करने के बाद अपीलार्थी को किसी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिलाये जाने से भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपीलान्टस की अपील को उक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से निजी खातेदारों की खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते/ पक्के रास्ते की भूमि को निजी खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जनहित में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 03.04.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार, बाडमेर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोतिणियों का तला तहसील बाडमेर के उल्लेखित खसरान भूमि में से चल रहे स्थाई रास्ते की हिस्सा भूमि यानि पक्की सडक बनी हुई है जिसकी लम्बाई 8.71 कि0मी0 है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध पटवारी हल्का की ओर से पेश रिपोर्ट को ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश का आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्टस की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये गुगल मैप के अवलोकन से ऐसा कोई रास्ता वादग्रस्त खसरान भूमि से चालू होने का आभास नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस को अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान नहीं किया जाना भी प्रकट होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उल्लेखित खसरान से यदि कोई कदीमी/बारहमासी अथवा स्थाई रास्ता चल रहा है तो उसकी तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट एवं मौका नक्शा तैयार करवाते हुए तथा उभय पक्षकरान/खातेदारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर